भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1286
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि विपणन अवसंरचना योजना

1286. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआईएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों / भाण्डागारों के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है।

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और इन्हें अंतिम रूप देने के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एएमआईएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की वर्षवार, राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(घ) स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है और स्वीकृत एवं जारी की गई धनराशि कितनी है; और

(ङ) क्या कोई आवेदन अस्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार देश भर में एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को कार्यान्वित कर रही है। एएमआई के अंतर्गत, शुरुआत से लेकर दिसंबर, 2024 तक, आंध्र प्रदेश में 61.38 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 1547 गोदामों को मंजूरी दी गई है और 319.3 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

(ख): एएमआई मांग आधारित योजना है, जिसमें पात्र लाभार्थी ऋण लेते हैं और पूंजीगत बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित परियोजना प्रस्ताव निर्धारित आवेदन पत्र में मूल्यांकन और मंजूरी के लिए वित्तीय संस्थान (एफआई) को सब्सिडी सहित सावधि ऋण के लिए प्रस्तुत करता है। वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर परियोजनाओं को एफआई द्वारा मंजूरी दी जाती है, जो ऋण की पहली किस्त जारी करती है और फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सब्सिडी के दावे प्रस्तुत करती है। सहकारी संस्थान/समितियाँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं सहित कृषि विपणन अवसंरचना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। मूल्यांकन के बाद, एनसीडीसी ऋण स्वीकृत करता है और लाभार्थियों को पहली किस्त संवितरित करने के बाद, निधि जारी करने के लिए पात्र सब्सिडी दावों को विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) को प्रस्तुत करता है।

राज्य एजेंसियाँ जो एफआई से ऋण नहीं लेना चाहती हैं, वे एएमआई योजना के तहत पात्र सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डीएमआई क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)/उप कार्यालय (एसओ) को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

(ग) और (घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश से एएमआई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण अनुबंध-I में है। 31 दिसंबर, 2024 तक, 402 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 49.32 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गई है और 46.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ङ) : कुछ परियोजनाओं को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है:
i. सावधि ऋण 50% से कम था जो योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
ii. एफआई द्वारा सावधि ऋण की पहली किस्त के संवितरण के 90 दिनों के भीतर नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में अग्रिम सब्सिडी दावों को प्रस्तुत न करना।

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एएमआई योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में प्राप्त आवेदनों की संख्या

जिले का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	प्राप्त आवेदनों की संख्या
अनंतपुर	1	1	3	1	1	0	7
बापतला	0	0	0	0	2	0	2
चित्तूर	0	1	8	5	6	1	21
पूर्वी गोदावरी	1	6	17	5	5	7	41
गुंटूर	2	13	25	14	6	7	67
काकीनाडा	0	0	0	0	0	1	1
कृष्णा	2	6	4	8	3	10	33
कुरनूल	16	16	13	8	9	3	65
महबूबनगर	0	1	0	0	0	0	1
नांदयाल	0	0	0	0	0	4	4
एनटीआर	0	0	0	0	1	1	2
पलनाडु	0	0	0	0	0	3	3
पार्वतीपुरम मन्यम	0	0	0	0	0	2	2
प्रकाशम	1	1	2	2	2	2	10
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	2	4	10	16	10	4	46
श्रीकाकुलम	3	0	66	16	0	5	90
तिरुपति	0	0	0	0	0	1	1
विशाखापत्तनम	0	0	1	0	0	0	1
विजयनगरम	0	2	2	1	1	1	7
पश्चिमी गोदावरी	7	3	33	15	3	4	65
वाईएसआर	12	4	7	9	1	0	33
कुल	**47**	**58**	**191**	**100**	**50**	**56**	**502**

*****